FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0084 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/05/2024 18:03 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 14/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/05/2024 **Time (समय):** 16:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/05/2024 18:03:57 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 30 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE STATION KOTKASIM, KHERTHAL TIJARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMBEER

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** UMRAO SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1968 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KANHADKA KI DHANI KOTKASIM, KHERTHAL TIJARA, KOTKASIM, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KANHADKA KI DHANI KOTKASIM, KHERTHAL TIJARA, KOTKASIM, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9649825706

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAGHUVEER SINGH		पिता:AMAR SINGH	1. NANGALUDIYA,KHERTHAL TIJARA,खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाक्यात मुकदमा इस प्रकार है कि रामबीर पुत्र श्री उमराव सिंह, निवासी कान्हडका की ढाणी थाना, कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा दिनांक 08.05.2024 को मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष कार्यालय में आया और एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेवा में, श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-2 भिवाडी विषयः-रिश्वत लेते समय पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मेरा पुत्र लोकेश कुमार हमारी टाटा की पिकअप गाडी नम्बर एच आर 66 सी 8362 को लोकल एरिये में चलाता है। दिनांक 11.04.2024 को मेरा पुत्र लोकेश कुमार हमारी पिकअप को कोटकासिम लेकर गया था। उस दिन हमारी पिकअप से एक मोटर साईकल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जिस पर मेरे पुत्र के खिलाफ पुलिस थाना कोटकासिम में मुकदमा दर्ज हो गया था। जिसकी जॉच श्री रघुवीर, ए एस आई द्वारा की जा रही है। श्री रघुवीर ने हमारी गाडी को मेरे सुपुर्दनामा कराने पर मुझे सौपी थी तथा 15000/- रूपये की रिश्वत मांग की और मुझ कहा कि मै आपके पुत्र के मुकदमे में नार्मल कार्यवाही करूंगा रघुवीर ए एस आई ने कल मेरे मोबाईल पर कॉल कर कहा कि आप दिनांक 08.05.2024 को थाने आ जाओ तथा आपकी गाडी जब्त करनी पडेगी शाम को एक शराब की बोतल और 15000/- रूपये रिश्वत के लेकर आना श्रीमान मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हॅू। उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हू। परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर मजीद दरियाफ्त की गई तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के बारे में पूछताछ की गई तो बताया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित व हस्ताक्षरशुदा होना बताते हुये अंकित तथ्य सही होना बताया तथा बताया कि मेरे पुत्र के नाम पुलिस थाना कोटकासिम में जो मुकदमा दर्ज हुआ है। उक्त मुकदमें के नम्बर मुझे ध्यान नही है। श्री रघुवीर ए. एस.आई. ने मुझे कल दिंनाक 07.05.2024 को मेरे मोबाईल नम्बर 9649825706 पर उसके मोबाईल नम्बर 9414367683 से लगभग दोपहर को 11-12 बजे के आस पास फोन किया था। मेरी रघुवीर ए.एस.आई. से कोई दुश्मनी व लेन देन नही है। मै यह कार्यवाही किसी के कहने आदि पर नहीं बल्कि स्वयं की स्वेच्छा से रघुवीर ए.एस.आई. द्वारा मेरे पुत्र के खिलाफ मुकदमें में नोर्मल कार्यवाही करने की कहने पर रिश्वत मांगे जाने पर यह कार्यवाही करा रहा हूं। परिवादी के प्रार्थना पत्र एवं उससे की गई पूछताछ आदि से मामला रिश्ववत राशी की मांग का पाये जाने पर गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर वक्त 11.00 ए.एम.पर परिवादी श्री रामबीर की उपस्थिति में परिवादी श्री रामबीर की आरोपी श्री रघुवीर सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोटकासिम जिला खैरथल-तिजारा से रिश्वत मांग के संबंध में होने वाली वार्तालाप को रिकार्ड हेतु डिजीटल वॉईस रिकार्डर बरंग काला को कार्यालय की अलमारी से श्री सतीश कुमार हैड कानि0 से निकलवाकर उसमें नया सैल, एवं BRINTON 32 जीबी मैमारी कार्ड डालकर उक्त वाईस रिकॉर्डर को मैमोरी कार्ड डले सहित चालू कर सभी फोल्डर खाली होना सुनिचित कर उक्त टेप रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने का तरीका परिवादी व रवि कुमार कानि0 को बताया जाकर श्री रवि कुमार कानि0 को सुपुर्द कर उसे परिवादी के हमराह परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार उसके बताये हुये गन्तव्य स्थान पर जाकर डिजीटल वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले हुये को चालू कर अपनी आवाज से दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर एवं टेप रिकार्डर प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादी को आरोपी रघुवीर सिंह सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोटकासिम जिला खैरथल-तिजारा के पास पुलिस थाना कोटकासिम पर भेजकर उसके द्वारा की जा रही रिश्ववत राशी की मॉग के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित मय परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर परिवादी श्री रामबीर एंव रवि कुमार कानि0 को रवाना किया गया। तत्पश्चात 02.00 पी.एम. पर श्री रवि कुमार ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल वाट्स अप कॉल कर अवगत कराया कि परिवादी द्वारा सत्यापन की कार्यवाही करवाई जा चुकी है। परिवादी ने मन् कानि0 को बताया है कि मुझे आरोपी पुलिस थाना कोटकासिम के अन्दर मिल गया था। उसके द्वारा मेरे से 2000/-रूपये अभी ले लिये है और 15000/- रूपये और रिश्वत के मांगे है मुझे रिश्वती राशि लेकर सोमवार को बुलाया है। परिवादी से मैने टेप रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया है। परिवादी मुझे निजी कार्य से कोटकासिम में रूकना चाहता है। जिसपर कानि0 को परिवादी को कल दिनाक 09.05.2024 को वक्त 10.00 ए.एम. पर कार्यालय में पहुंचने हेतु पाबंद कर कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर परिवादी को कोटकासिम छोड़कर मय टेप रिकॉर्डकर के कार्यालय में पहुचने की हिदायत दी गई। तत्पश्चार वक्त 03.15 पी.एम.पर श्री रवि कुमार कानि0 मय वाईस रिकार्डर के मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया और

बताया कि मैं व परिवादी रामबीर कार्यालय से रवाना होकर कोटकासिम पुलिस थाना के नजदीक पहुचे मैनें वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया। परिवादी पुलिस थाना कोटकासिम के अन्दर चला गया मैं थाने के पास ही परिवादी के आने इंतजार में मुकीम हो गया कुछ समय पश्चात परिवादी मेरें पास आया और मैनें वाईस रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त कर बंद कर स्वंय के पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मुझे उपरोक्त फिगरा के तथ्य बताये जो मैनें आपको जरिये मोबाईल वाट्स अप कॉल कर बता दिये थे। रवि कुमार कानि0 से डिजीटल वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले हुये सहित प्राप्त किया। जिसको कम्प्यूटर की मदद से चालू कर उसमें रिकार्ड वार्ता को ईयरफोन की मदद से सुना तो वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड में परिवादी श्री रामबीर एवं आरोपी श्री रघुवीर सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोटकासिम जिला खैरथल-तिजारा के मध्य हुई रिश्वत मांग संबंधी वार्ता रिकार्ड होना पायी गई। उक्त वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले हुये को उसी हालत में मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे में बिना छेड-छाड किये सुरक्षित कार्यालय की अलमारी रखकर लॉक किया गया। दिंनाक 09.05.2024 को वक्त 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री रामबीर हाजिर कार्यालय आया और मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि दिंनाक 08.05.2024 को मैं आपके कार्यालय के रवि कुमार कानि0 के कार्यालय से रवाना होकर कोटकासिम पुलिस थाना के नजदीक पहुंचे रवी कुमार कानि0 ने वाईस रिकॉर्डर चालू कर मुझको सुपुर्द कर दिया। रवि कुमार पुलिस थाना के पास ही खडा हो गया मैं पुलिस थाना कोटकासिम के अन्दर गया तो श्री रघुवीर ए.एस.आई. मुझे थाने के अन्दर ही अपने कक्ष में मिल गया । मैनें रघुवीर ए.एस.आई से मेरे पुत्र के विरूद्व दर्ज मुकदमें के बारे में वार्तालाप की तो उसने मुकदमें में नोरमल कार्यवाही करने की ऐवज में उसी समय 2000/- रूपये ले लिये और 15000/- रूपये सोमवार को देने के लिये कहॉ । आरोपी रघुवीर एएसआई द्वारा की गई रिश्वती मांग की वार्ता को मैने वाईस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लिया । और मैं पुलिस थाने से बाहर रवि कुमार कानि0 के पास आया और वाईस रिकॉर्डर रवि कुमार को सुपुर्द कर उपरोक्त तथ्य बताये। श्री रवि कुमार ने आपको जरिये मोबाईल वाट्स अप कॉल कर अवगत करा दिया था। आपके निर्देशानुसार मैं कोटकासिम में ही रूक गया था। रवि कुमार कानि कार्यालय के लिये रवाना हो गया था। परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। पूर्व से पाबंद स्वतंत्र गवाह श्री सत्यवान सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एंव मनीष कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी को जरिये वाट्सअप कॉल कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। फिर समय 01.45 पी.एम. पर तलविदा स्वतंत्र गवाहान श्री सत्यवान सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं श्री मनीष कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी हाजिर कार्यालय आये। उपरोक्त दोनो गवाहान का कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री रामबीर से परिचय कराया गया। परिवादी श्री रामबीर द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दौनो ने स्वयं की इच्छा से बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। उपरोक्त गवाहान को अब तक की गई कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए परिवादी द्वारा प्रेषित किया गया प्रार्थना पढ़ने को दिया गया। दोनो गवाहान ने प्रार्थना पत्र पढ़कर प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 01.55 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के सामने मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे से वाईस रिकार्डर कार्यालय की अलमारी से निकालकर वाईस रिकॉर्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी एवं आरोपी श्री रघुवीर सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटकासिम के मध्य दिनांक 08.05.2024 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को विभागीय कम्प्यॅूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेबिल स्पीकर की मदद से सुना व परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाया गया जिसमें आरोपी श्री रघुवीर सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटकासिम द्वारा वक्त सत्यापन परिवादी से 2000/- रूपये लेना एंव 15000/-रूपये रिश्वत राशी की मांग कर सोमवार को देना पाया गया। उक्त वार्ता की हूबहू फर्द ट्रासक्रिप्ट श्री रवि कुमार कानि0 से बनवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया गया, वार्ताओं परिवादी श्री रामबीर द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री रघुवीर सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटकासिम की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव मंगवायी जाकर तीनों को पैन ड्राईव SANDISK CRUZER BLADE 16GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 32 जीबी मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ता जो LOCATION-PRIVATE/SONY/VOICE/FOLDER 03 में रिकॉर्ड है को कम्प्यूटर की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव को प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित तीन पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्क ए-1 व ए-2 तथा ए-3 अंकित किया जाकर मार्क ए-1 व ए-2 को सील्ड मैहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव को कपड़े की थैली मार्क ए-3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया तत्पश्चात समय 04.45 पी.एम. पर परिवादी श्री रामबीर ने वार्तानुसार बताया कि आरोपी सहायक उप निरीक्षक अवकाश पर जाने के लिए कह रहा था। इस कारण सोमवार को मुझे रिश्वती राशि लेकर बुलाया है। परिवादी श्री रामबीर को कार्यवाही में गोपनीयता रखने एंव दिंनाक 13.05.2024 को प्रातः 08.00 ए.एम. पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि सहित कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर एंव दौनों स्वतंत्र गवाहान को

कार्यवाही की गोपनीयता रखने की हिदायत देकर रूखसत दी गई। तत्पश्चात दिंनाक 12.05.2024 को समय 09.15 पी. एम. पर परिवादी श्री रामबीर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन अवगत कराया कि मेरी रघुवीर सहायक उप निरीक्षक से जरिये मोबाईल अभी कुछ समय पहले वार्ता हुई है। उसने मुझे अवगत कराया कि मैं कल सोमवार को निजी काम से बाहर रहुंगां। आपको कल सोमवार को नही आना है। आप दिंनाक 14.05.2024 मंगलवार को दोपहर के आस पास आ जाना और पूरे पैसा लेके आना। परिवादी को दिंनाक 14.05.2024 को प्रातः 09.30 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। और मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा समय 09.30 पी.एम. पर जरिये मोबाईल सतीश कुमार हैडकानि. को अवगत कराया कि परिवादी से मेरी वार्तालाप हुई है। कल दिनांक 13.05.2024 ट्रेप कार्यवाही नही की जानी है। अतः समस्त स्टाफ एंव गवाहान को अवगत कराकर गवाहान को दिंनाक 14.05.2024 को प्रातः 09.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पांबन्द करें। तत्पश्चात दिंनाक 14.05.2024 को समय 09.45 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह श्री सत्यवान सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एंव श्री मनीष कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी हाजिर कार्यालय आयें। समय 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री रामबीर हाजिर कार्यालय आया और बताया कि मेरी आरोपी श्री रघुवीर सहायक उप निरीक्षक से मोबाईल पर वार्ता हुई है। उसने मुझे दोपहर को राशि लेकर बुलाया है। मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000/- रूपये साथ लेकर आया हूं। परिवादी एंव गवाहान का परिचय पूर्व से है, एंव गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की अनुमति पूर्व से प्राप्त की हुई है। तत्पश्चात समय 10.15 ए.एम. पर रूबरू गवाहान परिवादी श्री रामबीर ने मांगने पर आरोपी श्री रघुवीर सिंह सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोटकासिम को रिश्ववत में दी जाने वाली राशी 15,000/-रूपये 500-500/-रूपये के 30 नोट कुल 15,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाकर पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पष्चात श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीषी मंगवाकर शीशी में से थोडा सा फिनोफ्थलीन पाऊडर श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से एक साफ अखवार पर निकलवाकर 15,000/-रूपये के नम्बरी नोटो फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया। तत्पष्चात परिवादी श्री रामबीर की जामा तलाशी गवाह श्री सत्यवान सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, से लिवाई गई। परिवादी के पास बदन पर पहने हुये परिधान, मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये 15,000/-रूपये के नोट सीधे ही परिवादी श्री रामबीर के पहने हुए कुर्ते की सामने की बॉयी जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी श्री रघुवीर सहायक उप निरीक्षक के मांगने पर ही उसे देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखता है, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत में उक्त नोट प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मोबाईल फोन से मिस कॉल करने का रिश्ववत प्राप्ति का ईशारा बताया गया साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि यथा सम्भव परिवादी व आरोपी रघुवीर सिंह सहायक उप निरीक्षक के मध्य में होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री सतीश कुमार हैड कानि. से एक साफ पारदर्षी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उसे साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर ट्रेप बोक्स में से सोडियम कार्वोनेट पाऊडर की शीषी को निकलवाकर गवाह श्री मनीष कुमार शर्मा से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, साफ ही रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के अपरिवर्तित घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठें को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहो तथा हाजरीन को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीषी को ढक्कन बंद करवाकर श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी में रखवाई गईं तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बोक्स में सतीश कुमार हैड कानि के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से गिलास के धोवन को बाहरं फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार एवं पारदर्षी प्लास्टिक डिसपोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों-कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को सतीश कुमार हैड कानि. से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी तथा, सतीश हैड कानि, एंव समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी रामबीर को छोडकर दोनों गवाहान एवं ट्रैप पार्टी सदस्य तथा मन पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा

मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी श्री रामबीर को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द किया गया जाकर आवश्यक हिदायत दी गई, एवं श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही जरिये फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेटएवं सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पूर्ण की गई। तत्पश्चात 11.20 ए.एम. पर श्री भास्कर हैड कानि. एंव श्री सुण्डाराम हैड कानि. तलविदा कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम से उपस्थित आयें है। उक्त दौनों को ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रखने के लिए गवाह श्री सत्यवान सिंह से दोनों हैडकानि. की जामा तलाशी लिवाई गई। दोनों के पास विभागीय परिचय पत्र, मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्तनिक वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात 11.45 ए.एम. स्टाफ सदस्यों एंव स्वतंत्र गवाहान एंव स्वंय के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर परिवादी श्री रामबीर को उसकी स्वंय की मोटरसाईकिल से मय श्री रवि कुमार कानि. के आगे-आगे रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस परमेश्वर लाल मय दौनों स्वतंत्र श्री सत्यवान सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्री मनीष कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, स्टाफ के सदस्य सर्वश्री साहिब सिंह सहायक उप निरीक्षक, सतीश कुमार हैडकानि., लल्लूराम कानि.,भास्कर हैडकानि. एंव सुण्डाराम हैडकानि. के मय ट्रेप वोक्स एवं लेपटोप मय प्रिंटर आदि सामग्री के जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय महेश चन्द कानि.चालक एंव एक प्राईवेट वाहन से पुलिस थाना कोटकासिम के लिए वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवाना हुआ । नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक को बाद हिदायत कार्यालय में छोडा गया। फिर समय 01.00 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ, स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा पुलिस थाना, कोटकासिम से करीब 02 किलोमीटर पहले बीरनवास रोड पर जरिये राजकीय वाहन, प्राईवेट वाहन व परिवादी की मोटरसाईकल से पहुंचा।

परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी रघुवीर सिंह, ए.एस.आई. ने मुझे कहा था कि मै दोपहर को आपको फोन करूंगा तब आ जाना। परिवादी के उक्त कथन पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ, स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के परिवादी के पास आरोपी के मोबाईल फोन आने के इन्तजार में मुकीम हुआ। तत्पश्चात समय 02.30 पी.एम. पर आरोपी रघुवीर सिंह, एस.एस.आई. का परिवादी के पास फोन नहीं आने के कारण परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर वार्ता करवाई तो आरोपी ने कहा कि मै पुलिस थाना, कोटकासिम में प्रथम तल पर अपने कक्ष में मौजूद हूं आप थाने आ जाओं। आरोपी के उक्त कथन पर मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री रामबीर को उसकी स्वयं की मोटरसाईकल से मय रवि कुमार, कानि0 के आगे-आगे रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही स्टाफ व गवाहान के जरिये राजकीय वाहन मय चालक श्री महेष चन्द व प्राईवेट वाहन से पीछे-पीछे रवाना होकर करीब 02.40 पी.एम पर पुलिस थाना, कोटकासिम के पास चाय की थडी पर पहुंचा। परिवादी पुलिस थाना के अन्दर चला गया। परिवादी पुलिस थाना के अन्दर सीढीयॉ चढकर प्रथम तल पर चला गया। कानि0 रवि कुमार परिवादी के पीछे-पीछे थाना के अन्दर सीढीयॉ चढकर प्रथम तल पर चला गया मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान व कानि0 लल्लूराम के परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर पुलिस थाने के मैन गेट के पास सूचना पट्ट के पास रखे सोफे पर बैठ गया शेष स्टाफ चाय की थडी के पास गाडियों में ही बैठ गये और परिवादी के मुकरर इशारे के इन्तजार में मुकीम हुए। तत्पश्चात समय 03.00 पी.एम. पर रूबरू गवाहान परिवादी श्री रामबीर पुत्र श्री उमराव सिंह उम्र 56 साल जाति अहिर निवासी कान्हडका की ढ़ाणी पुलिस थाना कोटकासिम जिला खैरथल-तिजारा ने अपने मोबाईल से मन उप अधीक्षक पुलिस को कॉल कर रिश्वत स्वीकृती का निर्धारित इशारा किया। रिश्वत स्वीकृती का निर्धारित इशारा मिलने पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों को लेकर परिवादी के पास पुलिस थाना, कोटकासिम में प्रथम तल कमरा नं0 28 के अन्दर पहुंचा। कमरे के अन्दर एक व्यक्ति अण्डरवियर बनियान में खडा हुआ था। परिवादी से उसे सुपुर्द शुदा विभागीय वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रखा गया, तत्पष्चात परिवादी ने अण्डरवियर बनियान पहने हुए व्यक्ति की तरफ इशारा कर गवाहान के सामने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि यही रघुवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक है, उक्त व्यक्ति एकदम घबरा गया और बताया कि मैं श्री रघुवीर, सहायक उप निरीक्षक के पास आया तो इन्होने मेरे पुत्र के मुकदमें में वार्ता करने के बाद श्री रघुवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक ने उक्त कक्ष में 15000/-रूपये प्राप्त कर दोनो हाथों से गिनकर फटी हुई पुरानी बनियान में लपेटकर लोहे के सन्दूक के पास रख दिये है। परिवादी के उक्त कथन पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम रघुवीर पुत्र स्व0 श्री अमर सिंह, उम्र 54 वर्ष, जाति मीणा, निवासी नांगलऊदिया हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटकासिम जिला खैरथल-तिजारा होना बताया। जिससे परिवादी से प्राप्त की गई 15,000 /-रूपये रिश्वत राशी प्राप्त करने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि- इस रामबीर को जानता हूं इनके पुत्र लोकेश कुमार के विरूद्व पुलिस थाना कोटकासिम में मुकदमा नं0 135/2024 अन्तर्गत धारा 279,337 भादस में दर्ज है जिसकी तफ्तीष में कर रहा हूं। दिंनाक 08.05.2024 को श्री रामबीर मेरे पास आया और अपने पुत्र के विरूद्व दर्ज मुकदमें में वार्ता कर 2000/ रूपये देकर कहा कि साहब में आपको खुश कर जाउंगा। आज दिंनाक 14.05.2024 को मैं अवकाश से पुलिस थाना कोटकासिम में अपनी डयॅूटी पर आया तब इसका

मोबाईल 9649825706 से मेरे मोबाईल नं0 9414367683 से फोन आया और मुझे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हॅू । मैनें इनको मिलने के लिए थाने पर बुला लिया। मैं पुलिस थाना कोटकासिम में अपने कार्यालय कक्ष /बैरिक में अन्डरवियर और बनियान पहन कर सफाई कर रहा था, तब रामबीर मेरे पास आया और मुझे 15000/- रूपये दिये जिनको मैनें दौनों हाथों से गिन कर एक पुरानी फटी हुई बनियान में लपेटकर कक्ष में रखे सन्दूक के पास रख दिये। आरोपी रघुवीर, उप निरीक्षक को उनके कार्यालय कक्ष/ बैरक में रखी हुई पेन्ट-शर्ट को पहनने की कहने पर आरोपी द्वारा पेन्ट शर्ट पहनी गई। आरोपी के उक्त कथन पर परिवादी श्री रामवीर ने बताया कि मेरे पुत्र श्री लोकेष कुमार हमारी टाटा की पिकअप गाडी नम्बर एच आर 66 सी 8362 लोकल एरिये में चलाता है दिनांक 11.04.2024 को मेरा पुत्र हमारी पिकप को कोटकासिम लेकर गया था उस दिन हमारी पिकअप से एक मोटर साईकल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिस पर मेरे पुत्र के विरूद्ध पुलिस थाना, कोटकासिम में मुकदमा दर्ज हो गया था जिसकी तफतीष श्री रघुवीर, सहायक उप निरीक्षक कर रहे है। श्री रघुवीर, सहायक उप निरीक्षक ने हमारी पिकअप गाडी को मुझे सुपुर्द कर दी थी और कहा था कि मै आपके मुकदमे में नार्मल कार्यवाही करूंगा और 15000/- रूपये रिश्वत की मांग की दिनांक 07.05.2024 को रघुवीर, सहायक उप निरीक्षक ने मेरे मोबाईल पर कॉल किया कि आप दिनांक 08.05.2024 को थाने पर आ जाओं आपकी गाडी जब्त करनी पडेगी शाम को एक शराब की बोतल और 15000/- रूपये रिश्ववत के लेकर आना तक मैने दिनांक 08.05.2024 को आपके कार्यालय में आकर षिकायत कर दी आप द्वारा मुझे वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर आपके कर्मचारी श्री रवि कुमार को मेरे साथ भेजकर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया तो इन्होने 2000/- रूपये उसी दिन ले लिये और 15000/- रूपये की और रिश्ववत की मांग कर मुझे सोमवार दिनांक 13.05.2024 को देने के लिए कहा। दिनांक 12.05.2024 को सायंकाल मेरी इनसे वार्ता हुई तो इन्होने मुझे कहा की मै निजी कार्य से बाहर हूं। दिनांक 14.05.2024 को दोपहर को आकर 15000/- रूपये दे जाना मै आपके मुकदमे में नार्मल कार्यवाही करूंगा। उक्त मांग के अनुसरण में मैने आज इनके मांगने पर इनको 15000/- रूपये रिश्ववत के दिये है। इन्होने रिश्वती राशी प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर पुरानी फटी बनियान में लपेटकर लोहे की सन्दूक के पास रख दिये। तत्पष्चात रिष्वती राशी गवाह श्री मनीष कुमार शर्मा को सन्दूक के पास पुरानी फटी बनियान सहित उठवाकर सुरक्षित रखवाई गई तथा उसके पश्चात थाना परिसर में कैम्पर से एक बोतल में पानी मंगवाकर ट्रेप बाक्स से दो प्लास्टिक का पारदर्शी डिसपोजल गिलास निकलवाकर दोनो गिलासों में पानी भरवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बानेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला एक गिलास के घोल में आरोपी श्री रघुवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक के दाहिने हाथ की उंगली व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा- आधा भरवाकर शीशीयों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। दुसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री रघुवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक के बाये हाथ की उंगली व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा- आधा भरवाकर शीशीयों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कक्ष में उपयुक्त स्थान नहीं होने के कारण परिवादी एवं आरोपी, हमराह स्टाफ व स्तन्त्र गवाहों को साथ लेकर ग्राउण्ड फ्लोर पर ए.एस.आई. रूम 08 में पहुंचकर गवाह श्री मनीष कुमार शर्मा के पास पुरानी फटी बनियान में लपेटी हुई रिष्वती राशी को बनियान से बाहर निकलवाकर गिनवाया तो 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राशी 15000/- रूपये मिले है। उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकषी से दोनो गवाहान करवाने पर नम्बर हूबहू पाये गये। नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15000/- रूपये को एक पीले रंग के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सील्ड मोहर कर थैली के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात् एक स्टील का कटोरा ट्रेप बोक्स से निकलवाकर पानी से साफ करवाया जाकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला उक्त गिलास के घोल में आरोपी द्वारा रिश्वती राशी के नोटो पर लपेटी गई फटी पुरानी बनियान को धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर शीषीयों पर चिट चस्पा कर मार्क-बी-1, बी-2 अंकित कर शीशीयों को सील्ड मोहर कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। नोटो पर लपेटी हुई उक्त फटी पुरानी बनियान को सुखाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फटी पुरानी बनियान को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर मार्क-बी अंकित कराकर सील्ड मोहर कर थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर वास्ते बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री रघुवीर, सहायक उप निरीक्षक से परिवादी से सम्बन्धित पत्रावली के बारे में पुछा तो बताया कि मेरे प्रथम मंजिल पर कार्यालय कक्ष/बैरक में रखी हुई है। श्री रामवीर के पुत्र श्री लोकेश कुमार के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 135/2024 दर्ज है। उक्त पत्रावली आरोपी के साथ श्री सतीष कुमार, हैड कानि0 को भेजकर मंगवाई तो आरोपी रघुवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष/बैरक से मुकदमा नम्बर 135/2024 लाकर पेश की जिसक जब्ती

कार्यवाही पृथक से की जावेगी। इसके बाद मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामबीर से प्राप्त शुदा वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर ईयरफोन की मदद से सुना गया तो वाईस रिकॉडर में परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पेन ड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी श्री रघुवीर सिंह सहायक उप निरीक्षक व परिवादी श्री रामबीर को एक साथ आमने सामने कर पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुष्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है तो दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। उपरोक्त कार्यवाही जरिये फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशी पूर्ण की गई। इसके बाद समय 06.30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्षा मौका तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये गये। तत्पश्चात समय 07.00 पीएम पर पुलिस थाना, कोटकासिम में दर्ज मुकदमा नम्बर 135/2024 अन्तर्गत धारा 279, 337 की मूल पत्रावली जो आरोपी श्री रघुवीर सिंह सहायक उप निरीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष/ बैरक से लाकर पेश की थी। उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया उक्त प्रकरण एच.आर. 66 सी 8362 टैम्पू लोडिंग के चालक लोकेश कुमार पुत्र रामवीर यादव निवासी कान्हडका की ढाणी थाना कोटकासिम के विरूद्ध श्री रोशन लाल पुत्र श्री बल्ली सिंह द्वारा दर्ज कराया गया। उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली को फोटो प्रति करवाकर पेश करने हेतु श्री नंद लाल जांगिड उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोटकासिम को सुपुर्द की गई। श्री नंद लाल जांगिड उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोटकासिम द्वारा प्रकरण पत्रावली की फोटो प्रति करवाकर स्वयं द्वारा प्रमाणित कर मूल पत्रावली के साथ पेश की। उक्त प्रकरण पत्रवली की प्रमाणित प्रति को जरिये फर्द प्राप्त की गई। मूल पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की गई। इसके बाद समय 07.40 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने रूबरू गवाहान एवं परिवादी श्री रामबीर एवं श्री नंद लाल जांगिड उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोटकासिम तथा आरोपी श्री रघुवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक की मौजूदगी में उक्त मकान की खाना तलाशी लिये जाने हेतु श्री सुरेश कुमार से बाद सहमति मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पुलिस थाना, कोटकासिम में प्रथम मंजिल पर आरोपी श्री रघुवीर सिंह के कार्यालय कक्ष/ बैरक की खाना तलाषी ली गई तो कार्यालय कक्ष/ बैरक की जरिये फर्द खाना तलाषी ली गई कार्यालय कक्ष/ बैरक में रखे सामान/ प्रकरण पत्रावलियों का फर्द में अंकित कर समस्त सामान व प्रकरण की पत्रावलियॉ श्री नंद लाल जांगिड उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोटकासिम को सम्भलाई गई। किसी प्रकार का सामान आदि जब्त नहीं किया गया। तत्पश्चात समय 08.05 पी.एम. पर आरोपी श्री रघुवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना, कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा को जुर्म से अवगत कराते हुये हस्व कायदा जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफतार किया गया। तत्पश्चात 09.00 पी.एम. पर गिरफतार शुदा आरोपी श्री रघुवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना, कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटकासिम के नाम तहरीर क्रमांक एसपीएल-2 दिनांक 14.05.2024 तैयार कर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 नम्बर 11 व श्री लल्लूराम कानि0 के हमराह आरोपी श्री रघुवीर सिंह को जरिये राजकीय वाहन मय चालक के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटकासिम के लिए रवाना किया गया। फिर समय 09.50 पी.एम. पर गिरफतार शुदा आरोपी श्री रघुवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना, कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उपरोक्त फिकरा के रवानाषुदा श्री सतीश कुमार हैड कानि0 व श्री लल्लूराम कानि0 के जरिये राजकीय वाहन मय चालक व आरोपी के पुलिस थाना, कोटकासिम पर मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये। तत्पश्चात 10.00 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी श्री रामबीर की उपस्थिति में परिवादी से प्राप्त शुदा विभागीय वॉईस रिकार्डर में डले हुये मैमोरी कार्ड जिसमें वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी की आरोपी श्री रघुवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक से हुई वार्ता रिकार्ड है को लेपटोप के डेस्कटोप पर सेव कराया जाकर उक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को लेपटोप की मदद से चलाकर वार्ता को टेबिल स्पीकरों के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर। उक्त वार्ता की हूबहू फर्द ट्रासक्रिप्ट श्री रवि कुमार कानि0 से बनवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया गया, वार्ताओं परिवादी श्री रामबीर द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री रघुवीर सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटकासिम की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव हमराहा लाये गये तीनों पैन ड्राईव SANDISK CRUZER BLADE 16GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले BRINTON 32 जीबी मैमोरी कार्ड रिकॉर्ड शुदा वार्ता जो LOCATION-PRIVATE/SONY/VOICE/FOLDER 03 में रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड शुदा वार्ता को लैपटोप की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव को प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित तीन पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का सी-1 व सी-2 तथा सी-3 अंकित किया जाकर मार्क सी-1 व सी-2 को सील्ड मैहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव को कपड़े की थैली मार्क सी-3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया । उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो पेन ड्राईव बनाये गये है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट

नही की गई है। तत्पष्चात रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त कार्यवाही लेन-देन संबंधी रिकार्ड वार्ताओ के मूल एसडी कार्ड BRINTON 32 जीबी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से निकालकर एक सादा कागज में लपेटकर उक्त को एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली मे सील्ड मोहर कर मार्क एसडी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात दिंनाक 15.05.2024 को समय 01.05 ए.एम. पर टै्रप कार्यवाही में बजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास शील्ड नं0 04 को कानि0 लल्लूराम कानि0 487 के जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार की गई। तत्पश्चात समय 01.20 ए.एम.पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रामबीर को उसके घर जाने हेतु रूखसत दी गई। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही स्टाफ व दोनो स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रघुवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक के जरिये राजकीय वाहन मय चालक महेष चन्द एवं प्राईवेट वाहन से ट्रेप कार्यवाही में जप्त/सील्ड माल वजह सबूत एवं मय लेपटाप, प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के कार्यालय भ्र0नि0ब्यूरो, भिवाडी के लिए रवाना होकर समय 02.00 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही स्टाफ व दोनो स्वतंत्र गवाहान व गिरफ्तारषुदा आरोपी श्री रघुवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक के जरिये राजकीय वाहन मय चालक महेश चन्द एवं प्राईवेट वाहन से ट्रेप कार्यवाही में जप्त/सील्ड माल वजह सबूत को मय लेपटाप, प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के कार्यालय भ्र0नि0ब्यूरो, भिवाडी पहुंचे। ट्रेप कार्यवाही में जब्तषुदा रिष्वती राशी जप्त/सील्ड माल वजह सबूत मालखाना में जमा करने श्री सतीष कुमार, हैड कानि0 को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात समय 02.15 ए.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री सत्यवान सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं श्री मनीष कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय राजस्थान राजय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी को बाद हिदायत रूखसत दी गई। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री रघुवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री अमर सिंह, उम्र 54 वर्ष, जाति मीणा, निवासी नांगलऊदिया, तहसील व पुलिस थाना मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटकासिम जिला खैरथल-तिजारा द्वारा परिवादी श्री रामबीर पुत्र श्री उमराव सिंह, उम्र 56 साल, जाती अहीर, निवासी कान्हडका की ढाणी, पुलिस थाना कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा के पुत्र श्री लोकेष कुमार से परिवादी की टाटा पिकअप गाडी नम्बर एच आर 66 सी 8362 से मोटरसाईकल दुर्घटनाग्रस्त होने पर परिवादी के पुत्र श्री लोकेष कुमार के विरूद्ध पुलिस थाना, कोटकासिम में मुकदमा नम्बर 135/2024 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा0 द0 स0 में दर्ज हुआ था। उक्त मुकदमे की तफतीश श्री रघुवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक द्वारा की जा रही है। उक्त मुकदमे में नार्मल कार्यवाही करने एवं पिकअप गाडी को जब्त कर जल्दी जमानत करवाने की ऐवज में वक्त रिश्वती मांग सत्यापन दिनांक 08.05.2024 को 2000/- रूपये रिश्वत की राशी प्राप्त कर 15000/- की रिश्वत राशी की मांग करना एवं अपनी उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 14.05.2024 को परिवादी से 15000/- रूपये रिश्वत राशी पुलिस थाना, कोटाकासिम में अपने कार्यालय कक्ष/बैरक में प्राप्त कर दोनों हाथों से गिनकर फटी हुई पुरानी बनियान में लपेटकर लोहे के सन्दूक के बगल में रखने पर रिश्वती राशी आरोपी रघुवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक के कब्जे से लोहे के सन्दूक के पास से फटी हुई पुरानी बनियान से बरामद की गई। अतः रघुवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री अमर सिंह, उम्र 54 वर्ष, जाति मीणा, निवासी नांगलऊदिया, तहसील व पुलिस थाना मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटकासिम जिला खैरथल-तिजारा का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की श्रेणी में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो, जयपुर को प्रेषित है। (परमेश्वर लाल) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाड़ी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में श्री रघुवीर सिह पुत्र स्व. श्री अमर सिह निवासी नांगलऊदिया पुलिस थाना मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी महेन्द्र कुमार मीणा उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 234 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 418-21 दिनांक 15.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2 पुलिस अधीक्षक प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर । 3 पुलिस अधीक्षक जिला खैरथल -तिजारा। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर द्वितीय। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Mahendra Kumar Meena **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 15/05/2024 18:07:26

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	13/08/1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)